



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082023-248332
CG-DL-E-25082023-248332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3640]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 24, 2023/भाद्र 2, 1945

No. 3640]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 2023/BHADRA 2, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2023

का.आ. 3800(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1365 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(क) उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक 8 में, मद संख्यांक (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(घ) सभी ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों में लगी पहिया रिमें	आईएस 9438-2018	22 दिसम्बर, 2023.;"
--	----------------	---------------------

(ii) क्रम संख्यांक 43 में, मद संख्यांक (ख), (ग) और (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

" (ख) दो और तीन पहियां यानों के लिए ऑटोमोटिव यान, पहियां, रिमें : प्रकाश मिश्रातु पहियां रिमें-परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति	आईएस 16192 भाग 1, 2014.	22 दिसम्बर, 2023.
---	-------------------------	-------------------

(ग) दो और तीन पहियां यानों के लिए ऑटोमोटिव यान, पहियां, रिमें : शीट धातु पहियां रिमें-परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति	आईएस 16192 भाग 2, 2014.	22 दिसम्बर, 2023.
(घ) दो और तीन पहियां यानों के लिए ऑटोमोटिव यान, पहियां, रिमें : स्पोक पहियां रिमें-परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति	आईएस 16192 भाग 3, 2018.	22 दिसम्बर, 2023.";

(ख) सारणी क के क्रम संख्यांक 6 में मद संख्यांक (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(ख) पहियां रिमें	आईएस 9436-2018.	22 दिसम्बर, 2023.";
-------------------	-----------------	---------------------

(ग) सारणी ख के मद संख्यांक 2 में, मद संख्यांक (ङ), (च) और (छ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:-

"(ङ) दो और तीन पहियां यानों के लिए ऑटोमोटिव यान, पहियां, रिमें : प्रकाश मिश्रातु पहियां रिमें-परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति	आईएस 16192 भाग 1, 2014.	22 दिसम्बर, 2023.
(च) दो और तीन पहियां यानों के लिए ऑटोमोटिव यान, पहियां, रिमें : शीट धातु पहियां रिमें-परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति	आईएस 16192 भाग 2, 2014.	22 दिसम्बर, 2023.
(छ) दो और तीन पहियां यानों के लिए ऑटोमोटिव यान, पहियां, रिमें : स्पोक पहियां रिमें-परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति	आईएस 16192 भाग 3, 2018.	22 दिसम्बर, 2023. "

[फा. सं. आर. टी. 11036/17/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4567 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 2022 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2023

S.O. 3800(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1365(E) dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

(a) In the said notification,- in Table,-

(i) In serial number 8, for item number (d) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely:-

“(d)Wheel rims fitted in all trailers and semi-trailers.	IS 9438-2018.	22 nd December, 2023.”;
--	---------------	------------------------------------

(ii) In serial number 43, for item numbers (b), (c) and (d) and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be substituted, namely:-

“(b)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Light Alloy Wheel Rims - Method of Tests and Requirements.	IS 16192 Part 1 2014.	22 nd December, 2023.
(c)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Sheet Metal Wheel Rims - Method of Tests and Requirements.	IS 16192 Part 2 2014.	22 nd December, 2023.
(d)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Spoke Wheel Rims - Method of Tests and Requirements.	IS 16192 Part 3 2018.	22 nd December, 2023.”;

(b) In Table A, in serial number 6, for item number (b) and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be substituted, namely:-

“(b)Wheel rims.	IS 9436-2018.	22 nd December, 2023.”;
-----------------	---------------	------------------------------------

(c) In Table B, in serial number 2, for item numbers (e), (f) and (g) and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be substituted, namely:-

“(e)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Light Alloy Wheel Rims - Method of Tests and Requirements.	IS 16192 Part 1 2014.	22 nd December, 2023.
(f)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Sheet Metal Wheel Rims - Method of Tests and Requirements.	IS 16192 Part 2 2014.	22 nd December, 2023.
(g)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Spoke Wheel Rims - Method of Tests and Requirements.	IS 16192 Part 3 2018.	22 nd December, 2023.”.

[F. No. RT-11036/17/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and lastly amended vide notification number S.O. 4567(E), dated the 28th September, 2022.